

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.01.2024

आज दिनांक 23.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा० के० एस० प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर०के० भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा-** 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता मीना देवी पत्नी विक्रम निवासी नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 40/2024 धारा 60 अबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** हे०का० ध्रुवनरायन यादव, का० अनूप शर्मा, महिला पीआरडी सरिता देवी।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1-सुरेन्द्र निषाद पुत्र मुरली निषाद निवासी खड़गपुर 2- रामबेलास पुत्र कल्लू निवासी चकिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री अमित कुमार चतुर्वेदी, उ०नि० श्री गामा यादव, उ०नि० श्री उमेन्द्र यादव, का० अनिल यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना को० खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 24 वाहनों से 16,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 24 वाहनों से 16,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.01.2024*

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 23.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

*जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.01.2024*

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन कनविकशन* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन शिकंजा* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 23.01.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1465/2009 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता मुख्तार पुत्र अब्दुल रहीम निवासी करमा खान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 400 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविकशन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 23.01.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 623/2012 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता मुख्तार पुत्र रहीम कसाई निवासी कोहरियांवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 400 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियुक्त को 06 माह के कठोर कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविकशन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 23.01.2024 को *अपर सत्र न्यायाधीश /एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना मेंहदावल* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता ओमप्रकाश लोध पुत्र राम उग्रह निवासी पुरवा बौलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 06 माह के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियुक्त को 06 माह के कठोर कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविकशन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 23.01.2024 को *अपर सत्र न्यायाधीश /एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता ओमप्रकाश लोध पुत्र राम उग्रह निवासी पुरवा बौलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 06 माह के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।